बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–...................................

4/व2-05/14 संख्या– 1061(4) अधिसूचना संख्या 1060(4) दिनांक– 01-12-14 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा, प्रकाशित किया जाता है जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
1/12/14
(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihar
Health Department

Notification

Patna, Dated- 01-12-2014.

No. 4/व2-05/14-1060(4)/In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to determine appointment and service conditions in the Field Clerical Cadre under the Health Department.-

2. Short title, extent & commencement.--

(i) These Rules may be called as the "Bihar Health Field Clerical Cadre Rules, 2014".

(ii) It will extend to the whole State of Bihar.

(iii) It will come into force at once.

2. Definitions.-- In these Rules, unless the subject or context otherwise requires:-

(i) 'Government' means Bihar State Government;

(ii) 'Department' means Health Department;

(iii) 'Commission' means Bihar Staff Selection Commission;

(iv) 'Cadre' means Bihar Health Field Clerical Cadre;

(v) 'Sub-Cadre' means two sub-cadres of Bihar Health Field clerical cadre, namely District level sub-cadre and Medical College Hospital level sub-cadre;

(vi) 'Appointing Authority' means Civil Surgeon-cum- Chief Medical Officer of the concerned district with respect to district level sub-cadre and Superintendant of concerned Medical College Hospital with respect to Medical College Hospital level sub-cadre;

1061 (4)
1-12-14

(vi) 'Member' means a person appointed in sub-cadres and all persons appointed in sub-cadres from before coming into effect of these Rules are included in this ;

(viii) 'Recruitment year' means financial year i.e. 1st April to 31st March.

3. Constitution of Cadre.--

(i) The Bihar Health Field Clerical Cadre shall be constituted from sub-cadres of District level and concerned Medical College Hospital level. Under the District level sub-cadre, posts under all types of offices/Programmes/all types of Hospitals of the Health Department of the cornered district, mentioned in rule-4, shall be deemed to be included. Under the Medical College Hospital level sub-cadre, posts under the concerned Medical College as well as Medical College Hospital, mentioned in rule-4, shall be deemed to be included .

106 / (4)
1-12-14

(ii) In each sub-cadre of this cadre, number of posts in each Category and total number of posts in the cadre shall be as many as may be sanctioned by the government, from time to time.

4. Structure of sub-cadres:- The structure of each sub-cadre will be according to the following :-

Sl. No.	Name of post	Level/Category
(a)	Lower Division clerk	Basic Category
(b)	Upper Division clerk	First Promotion level

(C)	Head Clerk	Second Promotion level
(d)	Assistant Administrative Officer	Third Promotion level

Note:- (i) The present hierarchy of Lower Division Clerk, Upper Division Clerk, Head Clerk and Office Superintendant will continue till further orders.

(ii) The pay- scales of all aforesaid grades/levels will be revisable by the Government, from time to time.

5. Recruitment.--

(i) The appointment in both the sub-cadres will be made on the basic grade (Lower Division Clerk) posts. Out of the post- strength of Lower Division Clerk 85% posts shall be filled by direct recruitment, on the basis of recommendation of the Commission and 15% shall be filled by appointment by promotion according to seniority, of the eligible matriculate/10th pass Group 'D' employees.

106/(4) / 1-12-14

(ii) Out of 85% posts earmarked for direct recruitment , 10% posts shall be reserved for appointment on compassionate ground.

6. Qualifications.--

(i) For appointment by direct recruitment to the basic Category post of both the sub-cadres, minimum educational qualification shall be

Intermediate/10+2 pass or equivalent along with knowledge of computer operation and computer typing

(ii)For direct recruitment in both the sub-cadres, minimum age limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined reservation categorywise, from time to time, by the Government.

(iii) 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.

7. Calculation and determination of vacancy.--

(i) The Appointing Authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year shall determine vacancies in the basic grade to be filled by direct recruitment and promotion and get roster cleared for direct recruitment as well as promotion.

8. Procedure of Direct Recruitment.-

(i) After getting roster cleared for direct recruitment, reservation categorywise requisition shall be sent to the Commission by 30th April.

(ii) In light of requisition, the Commission shall invite applications after advertising vacancies and shall prepare merit list of candidates on the basis of Inter/10+2 level examination according to the provisions of Bihar Staff Selection Commission Conduct of Examination Rules, 2010.

(iii) After preparation of merit list, preliminary scrutiny of certificates and medical check up shall be conducted by the Commission with the

cooperation of Appointing Authority, and thereafter, reservation categorywise final rec ation, in accordance with the requisitioned vacancies, shall be sent to the Appointing Authority. At the level of the Appointing Authority also, antecedents of candidates shall be caused to be verified after scrutiny of certificates.

(iv) After receipt of recommendation of the Commission, it shall be necessary to comply instructions issued by the Government, from time to time, with respect to procedure of appointment.

9. Appointment by promotion in the Basic grade.-

(i) The Appointing Authority shall prepare seniority list of Matric /10th pass Group 'D' employees.

(ii) According to roster clearance reservation categorywise vacancies shall be placed before the Departmental Promotion Committee. Appointment by promotion may be made according to seniority, on the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee.

106/(4) 1-12-19

10. Probation Period.-- After appointment by direct recruitment, the candidates will be on probation. Probation period will be of two years. In case, will be extended for one year. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the Appointing Authority may terminate service of such Lower Division Clerk.

11. Training.-- During probation period, the probationer Lower Division Clerk shall have to undergo such training as may be determined by the Department.

12. Departmental Examination.--

(i) On completion of probation period the Lower Division Clerk shall have to pass the departmental examination. Departmental Examination will be conducted by the Board of Revenue.

(ii) There shall be two papers in the departmental examination and it will be necessary to obtain 40% marks for passing each paper:-

Paper-1: **Service Rules-** Bihar Service Code, Pension Rules, Law of Seniority and Promotion, Noting and Drafting.

Paper-2: **Financial Rules**- Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules, Provident Fund Rules, T.A. Rules, Insurance Rules.

1061 (4) 1-12-14

(3) Provisions of Bihar computer competency Rules, 2011 shall apply on this cadre.

13. Confirmation.-- On satisfactory Completion of probation period, successful completion of training and passing of Computer Competency Test as well as departmental examination, a Lower Division Clerk may be confirmed in the service.

14. Seniority.-- The inter-se seniority of Lower Division Clerk appointed by direct recommitment shall be determined according to the merit list prepared by the Commission:

Provided that the inter-se seniority determined before coming into effect of these Rules, shall remain unchanged;

Provided also that persons appointed on compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of competitive examination in the concerned recruitment year;

Provided further that persons appointed by promotion in a recruitment year shall be senior to persons appointed through competitive examination in the concerned recruitment year.

15. Promotion.--

(i) Subject to availability of the vacancies promotion from basic grade to higher grade may be considered subject to instructions issued by the General Administration Department, from time to time, regarding KALAWADHI and on the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee.

(ii) The Departmental Promotion Committee will be constituted as under :-

(i) <u>District level sub-cadre-</u>

(a) Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer of the concerned district -- Chairman

(b) Additional Chief Medical Officer of the concerned district-- Member-Secretary

(c) An officer belonging to Scheduled caste/Scheduled Tribe as determined by the Chairman- Member

(ii) Medical College Hospital level sub-cadre-

(a) Superintendent, concerned Medical College Hospital- Chairman

(b) Deputy Superintendant, concerned Medical College Hospital-Member Secretary

(c) An officer belonging to Scheduled Caste /Scheduled Tribe as determined by the Chairman. Member

106 (4)
1-12-14

16. Control of Sub-cadres.-From the District level sub-cadre, transfer/postings may be made on the clerical posts in all offices/ Programmes/ all types of hospitals of the Health Department in the concerned district. But the Director-in Chief, Health Services, Bihar shall have overall control over both the sub-cadres and in case of exigencies or necessities like shortage of clerks in a District/Medical College Hospital, the Director-in-Chief, Health Services, Bihar shall have powers to transfer an employee of a District sub-cadre or a Medical College Hospital sub-cadre to other District sub-cadre/Medical College Hospital sub-cadre maintaining his seniority on the basis of his entry into the service.

17. Reservation.-- It shall be necessary to comply the Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion, issued by the Government, from time to time.

18. The personnels appointed/promoted and working on the posts of this cadre mentioned in rule-4, from before coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this Cadre.

19. Residue Matters.-- For the subjects which have not been provided in these Rules, the provisions of concerned Codes/Rules/Resolutions/Instructions of the Government shall apply.

20. Interpretation.-- If any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, it shall be determined by the Department in consultation with the Law Department and in this respect decision of the Department shall be final.

21. Removal of difficulties.-- If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the Department may remove such difficulty by such general or special order which is not inconsistent with the provisions of these Rules.

22. Repeal & Savings.--

(i) The Rules and all Resolutions, Instructions, Orders, etc. issued earlier, are hereby repealed.

1061(4)
1-12-14

(ii) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under said Rules, Resolutions, Orders, Instructions etc shall be deemed to be done or taken under these Rules, as if these Rules

were in force on the date on which such thing was done or such an action was taken.

By order of the Governor of Bihar,

(Suresh Kumar Sharma)
Joint Secretary to Government

ज्ञापांक–.........1061(4)..................पटना, दिनांक–....1-12-14.

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–4/ए02-05/14-1061(4) पटना, दिनांक– 1-12-14

प्रतिलिपि–सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय/निदेशक इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान/अधीक्षक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं अगमकुँआ पटना एवं दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक /सभी सिविल सर्जन/सभी राज्य कार्यकर्मपदाधिकारी/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/ अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ प्रेषित।

1/12/14

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–1-12-14

संख्या 1060 (4) / भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।–

(i) यह नियमावली "बिहार स्वास्थ्य क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ** ।– जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iv) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग;

(v) 'उपसंवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार स्वास्थ्य क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के दो उपसंवर्ग, यथा जिला स्तरीय उपसंवर्ग तथा संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल स्तरीय उपसंवर्ग;

(vi) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है जिला स्तरीय उपसंवर्ग के संबंध में संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी; और चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल स्तरीय उपसंवर्ग के संबंध में संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक;

(vii) 'सदस्य' से अभिप्रेत है उपसंवर्गों में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से, उपसंवर्गों में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है;

(viii) 'भर्ती वर्ष' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च।

3. **संवर्ग का गठन ।–**

(i) बिहार स्वास्थ्य क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग जिला स्तरीय और संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल स्तरीय उपसंवर्गों से गठित होगा। जिला स्तरीय उपसंवर्ग में संबंधित जिला के अंतर्गत स्वास्थ्य विभागीय सभी प्रकार के कार्यालयों/कार्यक्रमों/ सभी प्रकार के अस्पतालों के अधीन के नियम–4 में उल्लिखित पद शामिल समझे जायेंगे। संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीन के नियम–4 में उल्लिखित पद चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल स्तरीय उपसंवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

(ii) इस सवंर्ग में प्रत्येक उपसंवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

4. **उपसंवर्ग की संरचना ।**–प्रत्येक उपसंवर्ग की संरचना निम्नलिखित के अनुसार होगी :–

क्रमांक	पद का नाम	स्तर/कोटि
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
(घ)	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर

1060 (4)
1-12-14

टिप्पणी –(i) निम्नवर्गीय लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक का वर्तमान पदसोपान अगले आदेश तक जारी रहेगा।

(ii) उपर्युक्त सभी कोटियों/स्तरों का वेतनमान सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षणीय होगा।

5. **भर्ती** –

(i) दोनों उपसंवर्गों में नियुक्ति मूल कोटि (निम्नवर्गीय लिपिक) के पद पर होगी। निम्नवर्गीय लिपिक के पदबल का 85% पद सीधी भर्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर, भरा जायेगा और 15% पर समूह 'घ' के इन्टरमीडियेट/10+2 उत्तीर्ण सुपात्र कर्मचारियों की वरीयतानुसार प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति से भरा जायेगा।

(ii) सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।

6. अर्हताएँ–

(i) दोनों उपसंवर्गो के मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडियेट/10+2 उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।

(ii) दोनों उप–संवर्गों में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु–सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय।

(iii) संबंधित वर्ष की 1 ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. रिक्ति की गणना एवं निर्धारण –

(i) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर, मूल कोटि में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाली रिक्तियाँ निर्धारित करेगा और सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए रोस्टर क्लीयरेन्स करायेगा।

8. सीधी भर्ती की प्रक्रिया ।–

(i)सीधी भर्ती के लिए रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजी जायेगी।

(ii) अधियाचना के आलोक में, आयोग, रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार इन्टर/+2 स्तरीय परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधासूची तैयार करेगा।

(iii) मेधासूची तैयार करने के पश्चात, आयोग के द्वारा नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से प्रमाण पत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अधियाचित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार अन्तिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी प्रमाणपत्रों की जॉच के पश्चात अनुशंसित अभ्यथियों का पूर्ववृत्त सत्यापन करा लिया जायेगा।

(iv) आयोग की अनुशंसा की प्राप्ति के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

9. मूल कोटि में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति ।–

(i) नियुक्ति प्राधिकार, इन्टरमीडियेट/10+2 उत्तीर्ण समूह "घ" कर्मचारियों की वरीयतासूची तैयार करेगा।

(ii) रोस्टर क्लीयरेन्स के अनुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। वरीयतानुसार, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी।

10. **परिवीक्षा अवधि** ।–

सीधी भर्ती से नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे निम्नवर्गीय लिपिक को सेवामुक्त कर सकेगा।

11. **प्रशिक्षण**।–परिवीक्षा अवधि में निम्नवर्गीय लिपिक को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय।

12. **विभागीय परीक्षा** ।–

(i) निम्नवर्गीय लिपिक को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(ii) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।–

106c(4) 1-12-14

<u>पत्र–1: सेवा नियमावली</u>– बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पण एवं प्रारूपण।

<u>पत्र–2:वित्तीय नियमावली</u>– कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

(iii) बिहार कम्प्यूटर सक्षमता नियमावली, 2011 के प्रावधान इस संवर्ग पर लागू होंगे।

13. **सम्पुष्टि** – परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निम्नवर्गीय लिपिक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

14. **वरीयता** – सीधी भर्ती से नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक की आपसी वरीयता आयोग द्वारा तैयार की गयी मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी;

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी;

परन्तु यह भी कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हों ;

परन्तु यह और कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

15. प्रोन्नति ।–

(i) रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन, मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, कालावधि संबंधी समय–समय पर, निर्गत अनुदेश के अध्यधीन और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगी।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार गठित होगी–

[i] जिला स्तरीय उपसंवर्ग–

(क) संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–	अध्यक्ष
(ख) संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सदस्य–	सचिव
(ग) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी–	सदस्य

[ii]चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल स्तरीय उपसंवर्ग–

(क) अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल–	अध्यक्ष
(ख) उपाधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल–सदस्य–	सचिव
(ग) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक चिकित्सक–	सदस्य

16. उपसंवर्गों का नियंत्रण– जिला स्तरीय उपसंवर्ग से संबंधित जिला में अवस्थित स्वास्थ्य विभागीय सभी कार्यालयों/ कार्यक्रमों/सभी प्रकार के अस्पतालों के लिपिकीय पदों पर पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जायेगा; परन्तु दोनों उपसंवर्गों पर समग्र नियंत्रण निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार का रहेगा और अचानक जरूरत होने पर या किसी जिला में या किसी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में लिपिक के अभाव जैसी अत्यावश्यकता होने पर एक जिला उपसंवर्ग या चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल उपसंवर्ग के किसी सदस्य को दूसरे जिला उपसंवर्ग या चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल उपसंवर्ग में, सेवा में उसके प्रवेश के आधार पर उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए, स्थानांतरित करने की शक्ति निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को होगी।

17. आरक्षण – सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय–समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

18. **नियम–4** में उल्लिखित किसी उपसंवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी संबंधित उपसंवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

19. **अवशिष्ट मामले** – इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

20. **निर्वचन।**– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **कठिनाई का निराकरण** – यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण ऐसे सामान्य या विशेष आदेश, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो द्वारा कर सकेगा।

22. **निरसन एवं व्यावृत्ति** –

(i) पूर्व निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद द्वारा निरसित किये जाते है।

(ii) ऐसा निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन किया गया कुछ भी कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कुछ कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1/12/14

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 1060 (4) ...पटना, दिनांक– 1-12-14

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

1/12/14

सरकार के संयुक्त सचिव।